(ख) 1981 की जनगणना के अनुसार बाल श्रमिकों की संख्या

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1981 की जनगणना
1.	आन्ध्र प्रदेश	1,05,312
2.	असम	* *
3.	बिहार	1,10,01,764
4.	गुजरात	6,16,913
5.	हरियाणा	1,94,189
6.	हिमाचल प्रदेश	99,624
7.	जम्मू और कश्मीर	2,58,437
8.	कर्नाटक	11,31,580
9.	केरल	92,854
10.	मध्य प्रदेश	1,698,597
11.	महाराष्ट्र	15,57,756
12.	मणिपुर	20,217
13.	मेघालय	44,916
14.	नागालैण्ड	16,235
15.	उड़ीसा	7,02,293
16.	पंजाब	2,16,989
17.	राजस्थान	8,19,605
18.	सिक्किम	8,561
19.	तमिलनाडु	9,75,055
20.	त्रिपुरा	24,204
21.	उत्तर प्रदेश	14,34,675
22.	पश्चिम बंगाल	605,263
23.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1,309
24.	अरूणाचल प्रदेश	17,950
25.	चंडीगढ़	1,986
26.	दादर और नगर हवेली	3,615
27.	दिल्ली	25,717
28.	गोवा, दमन व दीव	9,378
29.	लक्षद्वीप	56
30.	मिजोरम	6,314
31.	पांडिचेरी	3,606
		13,640,872

** असम में उस समय पाई जाने वाली अशान्त परिस्थितियों के कारण 1981 की जनगणना नहीं करवायी जा सकी थी।

उचित दर की दुकानों को घटिया स्तर के खाद्यान्नों की आपूर्ति किया जाना

1325. **श्री अजीत जोगी: क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उचित दर की दुकानों को घटिया स्तर के गेहूं, चीनी और चावल की आपूर्ति की जा रही है;

(ख) क्या यह सच है कि राशन कार्डधारी उचित दर की दुकानों से केवल चीनी खरीदते हैं और गेहूं और चावल के घटिया स्तर के होने के कारण वे बाजार में महंगा होने के बावजूद उचित दर की दुकानों से इन्हें खरीदना पसंद नहीं करते हैं;

(ग) यदि हां, तो उचित दर की दुकानों में अच्छे किस्म के गेहूं, चावल और चीनी की आपूर्ति करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) (श्री विनोद शर्मा): (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल, गेहूं और चीनी सहित मुख्य आवश्यक वस्तुओं का थोक में आवंटन करती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उपभोक्ताओं को वस्तुओं के वितरण से संबंधित सभी प्रचालनात्मक पहलू राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रशासनिक अधिकार-क्षेत्र के तहत आने वाले मामले हैं। केन्द्रीय सरकार को उचित दर दुकानों में घटिया किस्म के खाद्यान्नों की आपूर्ति के संबंध में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से कोई बड़ी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे विशाल आकार के कार्य में, जहां 4.25 लाख से भी अधिक उचित दर दुकानों के तंत्र के जरिए प्रतिवर्ष लाखों टन चावल, गेहूं और चीनी का वितरण किया जाता है, यत्र-तत्र कुछ कमियों से पूर्णतः इंकार नहीं किया जा सकता है।

केन्द्रीय सरकार निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप चावल और गेहूं के स्टॉक जारी करती है। भारतीय खाद्य निगम को केवल वही स्टाक जारी करने के अनुदेश दिए गए हैं जो कीड़े युक्त न हों और खाद्य अपमिश्रण

निवारण अधिनियम के मानकों के अनुरूप हों। चीनी मिलों से लेवी चीनी या तो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और उनके नामितियों द्वारा या भारतीय खाद्य निगम द्वारा उठाई जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सभी स्टॉकों को, उन्हें स्वीकार करने से पूर्व, जांच करने की अनुमति है और उन्हें स्टॉक के निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप न होने पर उसे अस्वीकार करने का अधिकार है।

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वस्तुओं के वितरण में कदाचार करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कार्रवाई करने का अधिकार है। केन्द्रीय सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उचित दर दुकान के स्तर पर उपभोक्ताओं की सतर्कता समितियां गठित करने की सलाह दी है, ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पर्यवेक्षण में जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

Coal Production in Andhra Pradesh

1326. SHRI MOHAN BABU: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) what is the expected production of coal from Andhra Pradesh in 1995-96;

(b) whether any shortfall is expected; and

(c) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) to (c) Presumably, the Hon'ble Member is referring to the expected coal production from Singareni Collieries Co. Limited (SCCL) situated in Andhra Pradesh. The target of coal production set for the SCCL for the year 1995-96 is 28.00 million tonnes, against which the company has achieved a production of 13.67 million tonnes (provisional) during the period April—November, 1995. On account of sporadic strikes the company had suffered some production loss during the year so far. The extent of shortfall in achieving target will be known only at the end of the financial year.

अनावश्यक वस्तुओं के आयात को कम करने हेतु उठाए गए कदम

1327. **श्री सतीश अग्रवाल:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय द्वारा डालर के मुकाबले रुपए के मूल्य में कमी को विशेष रूप से दृष्टिगत रखते हुए अनावश्यक वस्तुओं को नियंत्रित करने/कम करने/न्यूनतम करने हेतु क्या-क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या मंत्रालय ने खुला सामान्य लाईसेंस के अंतर्गत वस्तुओं की सूची में कांट-छांट की है ताकि मुद्रा बाजार में चालू अस्थिरता की स्थिति को सुधारा जा सके; और

(ग) क्या सरकार ने उन सटोरियों और चालबाजों का पता लगाया है जिन्होंने मुद्रा बाजार में यह सन्त्रास पैदा किया है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्): (क) से (ग) आयात-निर्यात नीति में परिवर्तन राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को पर्याप्त रूप से ध्यान में रखते हुए समग्र आर्थिक तथ्यों पर विचार करने के बाद किए जाते हैं। वर्तमान आयात-निर्यात नीति के अंतर्गत अधिकांश उपभोक्ता वस्तुओं का आयात पहले ही प्रतिबंधित है। भुगतान सन्तुलन की स्थिति में सुधार सुनिश्चित करने तथा अटकलों को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने भी कई उपाय किए हैं।

Stock of Sugar in the Country

1328. DR. BAPU KALDATE: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) the details of quantity of sugar stock in the country at present;

(b) the reasons why full quota of sugar has not been supplied to the fair price shops from time to time since January, 1995; and

(c) the steps taken to ensure that Fair Price Shopkeepers do not indulge in blackmarketing on account of shortage in supply?

THE MINISTER OF FOOD (SHRI AJIT SINGH): (a) The sugar season is reckoned from October to September. Accordingly, the stocks of indigenous sugar as on 01.10.1995 were 55.57 lakh